आवेदन क्रमांक   आवेदन पत्र मूल्य रू. 1000/-

इन्दौर शहर
मे
सॉची घी सुपर
स्टाकिस्ट हेतु

आवेदन पत्र

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर
दूरभाष 0731- 2802535 FAX 2802559

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

सॉची घी सुपर स्टाकिस्ट नियुक्ति हेतु

आवेदन पत्र

इस आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित संलग्न है :–

–	समाचार पत्र विज्ञापन (छायाप्रति)	01 पेंज
–	आवेदन पत्र प्रस्तुती विवरण –	01 पेंज
–	तकनीकी अर्हतायें (प्रपत्र 01)	02 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 01 से 02)
–	नियम एवं शर्ते (प्रपत्र 02)	04 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 03 से 06)
–	आवेदन पत्र (हस्तलिपि से भरा जाना है)	02 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 07 से 08)
–	अनुबंध का प्रारूप (प्रपत्र 03)	04 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 09 से 11)

-X-

मोनो

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर
दूरभाष – 0731 -2802535 FAX – 2811559

घी सुपर स्टाकिस्ट (केवल इन्दौर शहर हेतु) **आवेदन एवं अपकन्ट्री क्षेत्रों मे दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु अल्प कालीन ई–निविदा**

(1) **घी सुपर स्टाकिस्ट आवेदन** (अल्पकालीन तृतीय) :– इन्दौर शहर मे सॉची घी के वितरण कार्य हेतु सुपर स्टाकिस्ट नियुक्ति के लिये पार्टी अपने आवेदन दिनांक 28/04/17 दोप. 1.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है।

(2) **अपकन्ट्री क्षेत्रों मे दूध –दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु अल्पकालीन ई–निविदा** (चर्तुथ) :– दुग्ध संयंत्र, झाबुआ, बडवानी एवं खरगौन क्षेत्र मे सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु ई–निविदा के माध्यम से दिनांक 28/04/2017 दोपहर 2.30 बजे तक ऑन लाईन भरे जा सकेगे।

आवेदन एवं निविदा सम्बन्धी अन्य विस्तृत जानकारी के लिये वेब साईड साईड http;///www. mpeproc.gov.in से डाउन लोड कर देखा जा सकता है, साथ ही वेब साईट www.mpcdf.nic.in पर भी निविदा विवरण देखा जा सकता है। किसी भी भाव आफॅर/निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

GHSU

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दोर

सुपर स्टाकिस्ट (सॉची घी) एजेन्सी आवंटन हेतु (तृतीय)

❨ आवेदन पत्र प्रस्तुती विवरण ❩

(1)	आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय।	▪	28/04/17 दोप.1.00 बजे तक।
(2)	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय।	▪	28/04/17 दोप. 1.30बजे तक।
(3)	आवेदन पत्र खोलने की तिथि एवं समय।	▪	28/04/17,दोप.2.30 बजे।
(4)	आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि।	▪	रू. 1,00,000/- (अक्षरी रू. एक लाख मात्र)
(5)	आवेदन पत्र खोलने का स्थान	▪	इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या. चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर
(6)	सुपर स्टाकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताये का प्रारूप।	▪	प्रपत्र 01
(7)	सुपर स्टाकिस्ट की सामान्य शर्ते।	▪	प्रपत्र 02
(8)	अनुबंध प्रारूप।	▪	प्रपत्र 03

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

– प्रपत्र क्रमांक 01 ''तकनीकी अर्हताये'' प्रपत्र क्रमांक 01 ''सामान्य शर्ते एवं अनुबंध प्रपत्र 02 & 03'' बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर ''सुपर स्टाकिस्ट घी हेतु आवेदन'' लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता (Mob. No.) अंकित किया जावे।

– आवेदन पत्र मे उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त आवेदन कर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नही की जावेगी।

– बिना पूर्ण दस्तावेज एवं EMD राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नही किये जावेगे।

– आवेदक द्वारा प्रपत्र -1, प्रपत्र -2 प्रपत्र के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

-X-

GH SU

(तकनीकी अर्हतायें)

प्रपत्र -01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :– सॉची घी सुपर स्टाकिस्ट हेतु आवेदन बाबद।

महोदय,

सॉची घी सुपर स्टाकिस्ट हेतु दिनांक 20/04/17 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे निवेदन करता हूॅ कि मेरे द्वारा आवेदन फार्म मे वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ कर समझ लिये गये है। यदि मेरा आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूॅ। अतः मै एतद् द्वारा अमानत राशि रू. 1,00,000/- (अक्षरी रू एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक /04/2017 जो कि बैंक का है, संलग्न कर रहा हूॅ ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रमांक	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	संस्था/फर्म होने की दशा मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी /अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
3.	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।
4.	(अ) टीन नम्बर। (ब) फुड एण्ड सेफ्टी लायसंस।		टीन नम्बर/फुड एण्ड सेफ्टी लायसंस की छायाप्रति संलग्न करे।
5.	सॉची घी वितरण हेतु चार उपलब्ध वाहनों का प्रकार		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावे।
6.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।

(तकनीकी अर्हतायें)
प्रपत्र -01

7-.	विगत तीन वित्तीय वर्ष। (कर निर्धारण वर्ष 2014 -15, 15 -16 & 16-17) विक्रय कर का रिर्टन दाखिल करने का प्रमाण।		पान कार्ड, आयकर विभाग मे रिर्टन जमा करने की पावती एवं रिर्टन की कॉपी।

नोट :–

1- उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।

2- तकनीकी अर्हताओं सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 01 आवेदन की शर्ते प्रपत्र क्रमांक 02 मे प्रस्तुत की जा रही है।

3- उपरोक्त जानकारीयों मे से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर सॉची सुपर स्टाकिस्ट एजेन्सी को निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी, जो मुझे मान्य है।

हस्ताक्षर ....

नाम – – – – – – – – –

पता – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

दूरभाष नम्बर
Mob No.

……./3/….

(टेकनीकल बीडं)
प्रपत्र क्रमांक– 02

☙ सॉची घी सुपर स्टाकिस्ट आवेदन हेतु ❧
आवश्यक शर्ते

(1) आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ स्व–हस्ताक्षरित पासपोंट साईज फोटो एवं पेनकार्ड की प्रति लगाना अनिवार्य है।

(2) आवेदक को आवेदन के साथ रू. 1,00,000/- (अक्षरी रू एक लाख मात्र) डी.डी./NEFT/RTGS के माध्यम से अर्नेस्टमनी के रूप मे जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन के निराकरण पश्चात, अर्नेस्ट मनी अस्वीकृत आवेदकों को बिना ब्याज के लोटा दी जावेगी।

(3) सुपर स्टाकिस्ट को संघ मे प्रतिभूति राशि रू. पचास लाख एवं रू. पचास लाख की बैंक ग्यारन्टी अथवा संयुक्त नाम से F.D.R. जमा कराना होगी।

(4) वर्ष 2014 - 15, 15 – 16 एवं 16- 17 कुल तीन वर्षो का राशि रू.120 करोड का टर्न ओव्हर अनिवार्य है। टर्न ओव्हर ज्ञात करने हेतु वर्ष 2014 -15, एवं 15 -16 की अंकेक्षित वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, एवं वर्ष 2016 - 17 के लिये चारो त्रैमासिक विक्रय कर विवरणी जिसकों सी.ए. से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ताकि तीनों वर्षो का टर्न ओव्हर ज्ञात हो सके।

(5) सुपर स्टाकिस्ट को घी के निर्धारित मापदंडों से सुसज्जित व्यवस्थित भंडारण हेतु गोडाउन की व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य मे लगाये जाने वाले कम से कम दो वाहन जिसकी परिवहन क्षमता 2.5 से 3.0 मे.टन (प्रत्येक वाहन की पृथक पृथक) होकर तीन ओर से कव्हेड, एक ओर दरवाजा होगा, की व्यवस्था भी करना होगी। वितरण वाहनों की बॉडी समतल होगी, जिससे संघ के मापदंड अनुसार विज्ञापन को स्वयं के व्यय पर लगाना होगा, तथा उसे प्रतिवर्ष बदलना होागा। इस सम्बन्ध मे आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या भंडारण स्थल की रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन फिटनेस भी जमा करवाने होगे। वाहन पर संलग्न किये जाने वाले वाहन चालक/परिचालक के स्वयं द्वारा सत्यापित परिचय पत्र (नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, वर्तमान निवास, मूल निवास, मोबाईल नम्बर आदि) वैध लायंसस की छायाप्रति कार्यालय मे देना होगी। इसी तरह उक्त स्टाफ मे यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना उपरोक्त अनुसार देना अनिवार्य होगा एवं यही मापदंड नये कर्मी के लिये भी रहेगें।

(6) सुपर स्टाकिस्ट को अपनी मागं कम से कम दो दिवस पूर्व संघ को लिखित मे अथवा मेल द्वारा देना होगी, किन्तु संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार ही मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार घी का प्रदाय दिन मे एक ही बार संयंत्र वितरण डाक से निर्धारित समय मे किया जावेगा।

…../4/….

(टेकनीकल बीडं)

प्रपत्र कमांक– 02

(7) सुपर स्टाकिस्ट को घी प्राप्त करते समय उसकी जॉच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट, हानि की जिम्मेदारी सुपर स्टाकिस्ट की रहेगी। संघ से प्राप्ति पश्चात किसी भी लीकेज इत्यादि के लिये संघ द्वारा रिप्लेसमेन्ट आदि नही किया जावेगा।

(8) आवेदक का चयन होने के उपरांत सुपर स्टाकिस्ट कार्य हेतु संघ की निर्धारित शर्तो अनुसार रू. 1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। साथ ही सुपर स्टाकिस्ट को दो वर्ष के लिये नियुक्त किया जावेगा, तत् पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति,बाजार मे व्यवसायीक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिर्पोट संतोष जनक होने पर इसमे प्रबंध के निर्णय अनुसार एक – एक वर्ष कर तीन वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। अनुबंध अवधि मे कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर आवंटित कार्य निरस्त किया जा सकेगा। नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर संयुक्त नाम (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इ. स. दु. सं. एवं पार्टी नाम) से कय करना अनिवार्य है।

(9) किसी भी विपरीत व्यापारिक परिस्थिति मे संघ से सीधे घी प्राप्त कर विकय करने वाले वितरकों/विकेताओं/उपभोक्ताओं को प्रदाय का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

(10) संघ से कय की गई घी मात्रा की राशि RTGS/चैक के माध्यम से संघ खाते मे जमा करवानी होगी। सुपर स्टाकिस्ट द्वारा संघ मे जमा बैंक ग्यारन्टी/F.D.R. की 80% राशि का घी ही प्रदाय किया जावेगा।

(11) सुपर स्टाकिस्ट को इन्दौर, शहर मे सीधे वितरक नियुक्ति का अधिकार नही होगा, किन्तु महू एवं आस–पास के क्षेत्र मे निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विकय स्थापित करना आवश्यक होगा।

(12) RTGS से जमा की गई राशि संघ खाते मे आने के पश्चात ही घी प्रदाय किया जावेगा।

(13) नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपर स्टाकिस्ट को कम से कम 05 योग्य विकय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर इन्दौर शहर हेतु रखना होगा एवं उनकी आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगा।

(14) पूर्व मे संघ मे कार्य कर चुके सुपर स्टाकिस्ट/वितरक जिनका किसी भी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण रहा हो एवं वित्तीय अनियमितता हो ऐसे वितरक जिनको किसी भी संघ द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया हो तथा जो अन्य दुग्ध संघों मे किसी भी रूप मे व्यवसायरत (सुपर स्टाकिस्ट/वितरक/विकेता/ठेकेदार आदि) हो वे इन्दौर सह.दुग्ध संघ की किसी भी निविदा/व्यवसाय सम्बन्धी आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अपात्र रहेगें।

……/5/…..

(टेकनीकल बीडं)
प्रपत्र कमांक– 02

(15) आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नही है, का प्रमाण पत्र उनके निवास क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय पुलिस थाने से लेकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(16) वर्तमान मे दुग्ध संघ मे कार्यरत कर्मचारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं ऐसे व्यवसायी जो दुग्घ संघ मे पूर्व से सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ विकय मे कार्यरत है, ऐसे व्यवसायी भी सुपर स्टाकिस्ट हेतु आवेदन करने के अपात्र रहेगें।

(17) ऐसे व्यवसायी जो वर्तमान मे अन्य ब्राण्ड का घी विकय कर रहे है, वे भी आवेदन करने के अपात्र रहेगें।

(18) आवेदनकर्ता को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि स्वयं की फर्म द्वारा अन्य ब्राण्ड का घी विकय नही किया जा रहा है।

(19) आवेदनकर्ता का चयन होने के पश्चात कार्य के दौरान क्षेत्र के किसी भी वितरक से यह शिकायत प्राप्त होती है कि उन्हे सुपर स्टाकिस्ट द्वारा घी का प्रदाय नही किया गया है, प्रमाणित होने पर सुपर स्टाकिस्ट की एजेन्सी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।

(20) सुपर स्टाकिस्ट (घी) नियुक्ति हेतु आवेदनकर्ता को खद्य एवं ओषधी संप्रेक्षण एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन डेयरी करोबार हेतु लायंसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्य आवंटन पश्चात घी परिवहन हेतु उपयोग मे लाये जाने वाले वाहनों का पंजीयन FMCG के तहत् कराना होगा।

(21) स्टाकिस्ट हेतु प्राप्त किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। आवश्यकता प्रतिपादित होने पर सभी अथवा किसी भी आवेदक से घी व्यवसाय सम्बन्धी नीति का निर्धारण किया जा सकेगा। जिसके लिये प्रबंध स्वतंत्र होगा।

(22) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

(23) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नही करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

(24) सुपर स्टाकिस्ट को परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन भाडा नही दिया जावेगा।

……./6/….

(टेकनीकल बीडं)
प्रपत्र क्रमांक– 02

(25) सुपर स्टाकिस्ट का कार्यक्षेत्र इन्दौर शहर एवं महू क्षेत्र होगा । क्षैत्र के बाहर यदि घी प्रदाय किया जाता है तो प्रबंध द्वारा लिए गये निर्णय की समस्त जवाबदारी सुपर स्टाकिस्ट की होगी ।

(26) स्टाकिस्ट नियुक्त होने प्श्चात किसी वाद–विवाद पर आर्बिटेशन की व्यवस्था होगी। जिस हेतु अध्यक्ष, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर का निर्णय मान्य होगा।

(27) व्यापार हेतु वाद–विवाद पर इन्दौर न्यायलयीन क्षेत्र प्रभावशील रहेगा।

(28) उपरोक्त शर्तो पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण आवेदक सहायक महाप्रबंधक (विपणन) अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त कर सकता है।

मेरे द्वारा सॉची घी सुपर स्टाकिस्ट हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्ते ठीक से पढ व समझ ली है तथा मै सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हूॅ/है। आवेदन मे दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन मे प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मै बिन्दु क्रमांक 01 से 28 तक वर्णित शर्तो का पालन नही करता हूॅ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमति देता हूॅ।

दिनांक

–हस्ताक्षर–

(आवेदक का नाम एवं पता)

GH SUP

❖ सॉची घी सुपर स्टाकिस्ट हेतु आवेदन पत्र ❖

पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करे

1- आवेदक का नाम ▪ ————————————

2- पिता/पति का नाम ▪ ————————————

3- स्थाई पता ▪ ————————————
(प्रमाण सहित) ————————————
————————————

(अ) दूरभाष नं. ▪
(ब) मोबाईल नं. ▪
(स) पेनकार्ड नं. ▪
(द) टीन नं. ▪

4- शैक्षणिक योग्यता ▪ ————————————

5- आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर–शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ▪ ————————————
————————————
————————————

6- वर्तमान व्यवसाय ▪ ————————————

……/8/….

7-	वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे)	▪	——————————————
8-	वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.)	▪	——————————————
	(अ) चल–अचल सम्पति का ब्योरा।		– –
	(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं मे जमा राशि। (गत तीन वर्ष का आयकर विवरण) संलग्न करे।		– – – – – – – – – – –
9-	सुपर स्टाकिस्ट हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था।	▪	– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
10-	(अ) पान नम्बर	▪	– – – – – – – – – –
	(ब) सर्विस टेक्स नम्बर।	▪	– – – – – – – – – –
	(स) आधार कार्ड नम्बर। (तीनो दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)		
11-	वाहन व्यवस्था (स्वयं का वाहन होना आवश्यक) वाहन के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें, एवं विवरण दे।	▪	– –
12-	धरोहर राशि। (D.D./M.R. कमांक) दिनांक प्रारूप 01 के साथ संलग्न है)	▪	रू.– – – – – – – – – – –

दिनांक

–आवेदक के हस्ताक्षर–

(पूरा नाम)

(Mob. No.)

GH SUP

¼ अनुबंध ½ प्रपत्र क्रमांक– 03

यह अनुबंध **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चादां तलावली, ए.,बी.रोड, मागंलिया, इन्दौर जिसे आगे ''प्रथम पक्ष'' एवं **मेसर्स श्री––––––––––पता** –––––––––––– जिन्हे आगे ''द्वितीय पक्ष'' के नाम से सम्बोधित किया गया है, के मध्य निम्न शर्तो पर केवल इन्दौर शहर सीमा एवं सम्बद्व ग्रामीण क्षेत्रों मे सॉची घी सुपर स्टाकिस्ट कार्य हेतु निष्पादित किया जा रहा है :–

(1) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल सॉची घी वितरण/विक्रय हेतु सम्पूर्ण इन्दौर शहर एवं इससे सम्बन्द महू हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से दो वर्ष की अवधि हेतु सुपर स्टाकिस्ट वितरक नियुक्त किया गया है।

(2) यह कि वर्तमान मे द्वितीय पक्ष द्वारा संघ मे प्रतिभूति स्वरूप राशि रू. 50,00,000/- (अक्षरी रू. पचास लाख मात्र) नगद एवं रू. पचास लाख की बैंक ग्यारन्टी/संयुक्त F.D.R. जमा की गई है, इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य मे प्रतिभूति राशि मे वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा घी प्रदाय नही किया जावेगा।

(3) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त दैनिक उठाये जाने वाले घी की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से इन्दौर दुग्ध संघ, इन्दौर के खाते मे जमा करायेगा। संघ खाते मे राशि जमा के सत्यापन होने के बाद घी प्रदाय होगा।

(4) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट को उनकी जमा बैंक ग्यारन्टी का 80 % तक का माल प्रदाय किया जा सकेगा, जो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट को मान्य करना अनिवार्य होगा।

(5) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट को उनकी मांग एवं संघ मे उपलब्धता अनुसार घी का प्रदाय विभिन्न पैकिंग मे करेगा, जिसे द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट उसी ईकाई/केस/कार्टन (01 Lit., 500, 200 M.L. & 05, 15 किलो के टीन पैक मे) विक्रय करेगें एवं राशि वसूल करेगें। खुल्ला घी विक्रय नही कर सकेगे। साथ ही संयंत्र डाक से प्रातः 10.30 से सायं 5.00 बजे के मध्य दिन मे एक बार घी का प्रदाय किया जावेगा।

(6) यह कि प्रथम पक्ष यदि यह महसूस करे कि द्वितीय पक्ष सॉची घी विक्रय का वितरण समान रूप से, वितरक/विक्रेताओं की मांग एवं समय पर प्रदायगी नही कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति मे प्रथम पक्ष तत्काल अपने साधन से घी की आपूर्ति करेगे, एवं इस बात की तस्दीक करेगे कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से नही की जा रही है, यदि जान बूझ कर लापरवाही की जा रही है, पाया जाता है तो उसी दिन से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सुपर स्टाकिस्ट एजेन्सी समाप्त करने हेतु अधिकार सुरक्षित रखता है।

……./10/….

(प्रपत्र –3)

(7) यह कि द्वितीय पक्ष को घी विक्रय वृद्धि हेतु संघ द्वारा विक्रय लक्ष्य दिये जावेगे जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्तमान मे विक्रय लक्ष्य कार्य आदेश मे उल्लेखित किये गये है।

(8) सुपर स्टाकिस्ट द्वारा यदि वर्तमान विक्रय को डेढ गुणा या जो भी लक्ष्य दिये जाते है, को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के अभाव मे जो भी राशि मार्जिन के रूप मे सुपर स्टाकिस्ट को दी जावेगी, उसकी 50% राशि संघ सुपर स्टाकिस्ट की जमा अमानत राशि जप्त कर सुपर स्टाकिस्ट की एजेन्सी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

(9) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा समय समय पर घी विक्रय लक्ष्य की समीक्षा की जावेगी, समीक्षा पश्चात सुपर स्टाकिस्ट (घी) एजेन्सी आगे ओर बढायी जाना है, अथवा नही का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमे मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेगे। जिसमे द्वितीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नही रहेगा।

(10) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट द्वारा घी वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घन्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित मे प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार घी उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमे किसी प्रकार की काट–छांट या पैकिंग मात्रा मे संशोधन नही किया जावेगा।

(11) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट द्वारा प्रथम पक्ष/संघ से उठायी गई घी मात्रा का लेखा जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेगें एवं प्रथम पक्ष/संघ द्वारा मांग किये जाने पर डी.एम. एवं गेटपास की प्रति प्रस्तुत करेगें।

(12) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट घी प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेगें, संयंत्र से सॉची घी आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी के पश्चात किसी भी शिकायत को मान्य नही किया जावेगा।

(13) यह कि यदि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रीत होने वाले घी पर लगाया जाता है तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमे किसी भी प्रकार का सहयोग नही देगा।

(14) द्वितीय पक्ष को आयकर PAN No. एवं विक्रय कर सम्बन्धी किन्ही भी आवश्यकता हेतु कार्यालय मे उक्त दौनो दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव मे यदि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक शास्ति सरकार या अन्य किसी भी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

……/11/…

(प्रपत्र –3)

(15) यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत् किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारीयों द्वारा यदि संघ निर्मित घी के सेम्पल की मांग की जाती है, तो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट उन्हे सील बन्द ईकाई (घी) देवेगें, किसी भी स्थिति मे खुल्ला घी नही देगें, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियॉ भी कार्यालय मे 03 धन्टे की समय अवधि मे देना अनिवार्य होगी।

(16) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट द्वारा घी वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा नही दिया जावेगा।

(17) यह कि द्वितीय पक्ष ''सॉची'' घी विक्रय हेतु अधिकृत सुपर स्टाकिस्ट वितरक नियुक्त है, अतः छोटे छोटे व्यापारियों /वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी सम्बन्ध बना कर रखना होगा, जिससे सॉची ब्राण्ड घी विक्रय वृद्धि मे सहायता मिलती रहे।

(18) यह कि उक्त अनुबंध को प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटीस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमे दौनो पक्षों मे लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा। अन्यथा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा–खर्चा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।

(20) यह कि उक्त अनुबंध दौनो पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील/बन्धनकारी रहेगा।

(21) यह कि उपरोक्त शर्तो मे व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसमे द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट पक्ष की सहमति भी ली जावेगी।

(22) यह कि किसी भी विवाद की स्थिति मे अध्यक्ष, इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर का निर्णय अंतिम एवं दौनो पक्षों को मान्य होगा।

(23) यह कि किसी भी विवाद की स्थिति मे न्याय क्षेत्र, सहकारी न्यायालय, इन्दौर रहेगा।

उपरोक्त शर्तो पर दौनो पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश–हवास मे इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यालय मे निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दौनो पक्षों को मान्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.

(————————S/O ————————)
————————————

⌦ गवाह ⌫

(1) हस्ताक्षर	(2) हस्ताक्षर
नाम	नाम ....
पिता	पिता ....
पता	पता ....
....	....

-X-

आवेदन क्रमांक आवेदन पत्र मूल्य रू. 300/-

दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन / वितरण वाहन हेतु निविदा (चतुर्थ)

☙ निविदा फार्म ❧

वर्ष 2017 -19

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर

PRI.VHN. MCC

मोनो

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर
दूरभाष – 0731 -2802535 FAX – 2811559

घी सुपर स्टाकिस्ट (केवल इन्दौर शहर हेतु) आवेदन एवं अपकन्ट्री क्षेत्रों मे दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु अल्प कालीन ई–निविदा

(1) **घी सुपर स्टाकिस्ट आवेदन** (अल्पकालीन तृतीय) :– इन्दौर शहर मे सॉची घी के वितरण कार्य हेतु सुपर स्टाकिस्ट नियुक्ति के लिये पार्टी अपने आवेदन दिनांक 28/04/17 दोप. 1.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है।

(2) **अपकन्ट्री क्षेत्रों मे दूध –दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु अल्पकालीन ई निविदा** (चर्तुथ) :– दुग्ध संयंत्र, झाबुआ, बडवानी एवं खरगौन क्षेत्र मे सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु ई–निविदा के माध्यम से दिनांक 28/04/2017 दोपहर 2.30 बजे तक ऑन लाईन भरे जा सकेगे।

आवेदन एवं निविदा सम्बन्धी अन्य विस्तृत जानकारी के लिये वेब साईड साईड http;///WWW. mpeproc.gov.in से डाउन लोड कर देखा जा सकता है, साथ ही वेब साईट www.mpcdf.nic.in पर भी निविदा विवरण देखा जा सकता है। किसी भी भाव आफॅर/निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

PRI.VHN. MCC ii

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन हेतु ई निविदा प्रपत्र

1	निविदा ऑन लाईन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय।	**27/04/17 दोप. 2.30 बजे तक।**
2	निविदा ऑन लाईन जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	**28/04/17 दोपहर 1. 00 बजे तक** इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या, चादां तलावली, ए.बी.रोड इन्दौर
3	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	**28/04/17 दोप. 2. 00 बजे तक।**
4	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू.300/- (तीन सौ रूपये मात्र) ऑनलाईन भुगतान कर क्रय किया जा सकता है।
5	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	(अ) 2.5 मे.टन या उससे अधिक परिवहन क्षमता हेतु राशि रू. 30,000/- (अक्षरी रू. तीस हजार मात्र) (ब) 1.5 मे.टन या इससे कम परिवहन क्षमता हेतु राशि रू. 10,000/- (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक ''इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर '' पेयबल एट इन्दौर के नाम से देय हो।
6	निविदा खोलने का स्थान	**इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या. चांदा तलावली, इन्दौर**
7	धरोहर राशि (EMD)	**लिफाफा ''A''**
8	वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु ''तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें	**प्रपत्र 01 एवं प्रपत्र 02 लिफाफा B**
9	.''भाव पत्र/दरे'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	**प्रपत्र 03 लिफाफा C**

<u>निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–</u>

- धरोहर राशि (EMD) का डी.डी./बैंकर्स चेक भौतिक रूप से एक अलग लिफाफा में रखें। जिस पर लिफाफा ''A'' लिखा जाए।
- प्रपत्र क्रमांक 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा प्रपत्र क्रमांक 2 ''निविदा की शर्ते'' मार्ग का नाम वर्णित करते हुए एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा ''B''–प्रपत्र 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' एवं प्रपत्र 2 निविदा की शर्तें लिखा जावे।
- उक्त दोनों ''A'' एवं ''B'' बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 28/04/17 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा की जावें। पहले ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जाएंगी।
- निविदा प्रपत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- प्रपत्र 3 लिफाफा ''C'' जिसमें ''दरें'' संलग्न होंगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त ''दरों'' को निरस्त समझा जावेगा। ....../2/...

नोटः– सभी निविदाकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे धरोहर राशि (EMD) का डी.डी./बैंकर्स चेक भौतिक रूप से एक अलग लिफाफे ''A'' में भेजे। लिफाफा ''A'' तथा ''B'' निविदा खोलने की दिनांक एवं समय से पूर्व भौतिक रूप से इन्दौर दुग्ध संघ, इन्दौर में जमा करें। दस्तावेज जिन्हें ऑनलाईन नही भेजा जा सकता है, को साथ ही लिफाफा ''B'' में दिनांक 28/04/17 को दोपहर 1.00 बजे तक प्रेषित करें। लिफाफा ''C'' जिसमें Price Bid संलग्न होगी कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जावे एवं भौतिक रूप से प्राप्त Price Bid (लिफाफा –'C') को निरस्त समझा जावेगा।

टिप्पणी :–

1- निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंसियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी।

1- <u>निविदा कार्य अवधि :–</u>

निविदाऐं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2017 - 2019 (दो वर्ष) के लिए आमंत्रित है। आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

2- न्यूनतम अर्हताऐं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण :–

क्र.	विवरण	क्र.	विवरण
4	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताऐं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।	4	अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी। टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करने के लिये इन दस्तावेजों को स्केन कर ऑन लॉईन अपलोड कर उपलब्ध कराने होगे या भौतिक रूप से प्रस्तुत करें।
	अनिवार्य अर्हताऐं–		**अनिवार्य दस्तावेज**
4.1	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा । स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	4.1	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के **प्रपत्र क्र. 03** को पूर्णतः भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुखताररनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।

……/3/…

4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑन लाईन जमा होना चाहिय।	4.3	तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो।	4.4	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN CARD) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	निविदा शुल्क जमा किया हो।	4.5	निविदा फार्म क्रय किये जाने/वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क की E - payment के माध्यम से

……./4/….

6- <u>निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय</u> –

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइड http:// www.mpeproc.gov.in पर निविदा दस्तावेज के मूल्य की राशि रू.300/- (रू. तीन सौ मात्र) (वेट सहित) ऑनलाइन भुगतान कर क्रय की जा सकती है।

<u>निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :</u>

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर डिजीटल हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्रं.	**निविदाकार का स्वरूप**	**निविदा कौन भर सकेगा** (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगें)
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

……/5/…

प्रपत्र क्रमांक–01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

महोदय,

दुग्ध परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक 20/04/17 को दैनिक भास्कर, समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा मार्ग . ... हेतु अमानत राशि रू. 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र) 2.5 मे.टन या उससे अधिक परिवहन क्षमता हेतु एवं रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) 1.5 (डेढ मे.टन) मे.टन या (इससे कम परिवहन क्षमता हेतु) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक ....जो कि, ...बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ अथवा इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यालय में रसीद क्रमांक ....दिनांक ....से नगद जमा की है ।

तकनीकी अर्हताऐं

क्रं0	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4	निविदाकर्ता का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें
5	उपलब्ध वाहन का प्रकार/नया वाहन खरीदने के स्थिति में तदाशय का शपथ–पत्र संलग्न करें।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावें।

...../6/.....

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है तथा निविदा खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है ।

(2) तकनिकी अर्हताओं संबंधी प्रपत्र क्रमांक 1, निविदा की शर्ते प्रपत्र क्रमांक– 2 एक साथ एक लिफाफे में एवं निविदा दर संबंधी प्रपत्र 3 दूसरे सीलबंद लिफाफे में रखकर दोनों लिफाफे तीसरे लिफाफे में मार्ग का नाम वर्णित करते हुए प्रस्तुत करना होगी । तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले निविदाकारों का ही निविदा दर संबंधी लिफाफ खोला जावेगा ।

(3) उपरोक्त 5 जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर
नाम :– ————————————————
पता :– ————————————————
————————————————
दूरभाष नं. ————————————————
Mob. No.
ई–मेल ————————————————
फैक्स नं.

……/7/….

<u>प्रपत्र क्रमांक–2</u>

साँची दूध परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते :

(1) निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

(2) निविदाकार/आवेदक एक निविदा प्रपत्र में एक ही मार्ग हेतु दरें प्रस्तुत कर सकेगा। अलग–अलग मार्ग हेतु अलग–अलग निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक मार्ग हेतु अलग–अलग अर्नेस्टमनी जमा करना भी अनिवार्य है।

(3) निविदाकार के पास स्वयं का इंसयुलेटेड वाहन होना आवश्यक है यदि निविदाकार नया वाहन क्रय करना चाहता है तो एक माह के भीतर इंसयुलेटेड नया वाहन उपलब्ध कराने का शपथ–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। इन्सयुलेटेड वाहन वर्ष **2014** या उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना चाहिए **वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ** से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन इंश्युलेटेड नही होने की दशा मे आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकती है।

(4) निविदाकार आवेदक को निविदा के साथ 2.5 मे.टन परिवहन क्षमता या उससे अधिक हेतु रू. 30,000/- (रू. तीस हजार मात्र) एवं 1.5 मे.टन या इससे कम परिवहन क्षमता के लिये रू. 10,000/- (रू. दस हजार मात्र) डी.डी./नगद अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर अर्नेस्टमनी प्रतिभूति राशि में समायोजित हो जावेगी।

(5) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेंगा।

(6) निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित प्रतिभूति राशि संघ में जमा करना अनिवार्य है।

(7) निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।

(8) आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।

(9) निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।

……/8/…..

(10) किसी भी निविदा को कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

(11) निविदाकार/आवेदक दरों में प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। निविदा अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर आनुपातिक रूप से कर दिया जावेगा। केवल प्रतिट्रीप दर से चलने वाले वाहनों को छोडकर।

(12) निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्ते आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें।

(13) परिवहनकर्त्ता को निविदा स्वीकृति होने की स्थिति में बतौर प्रतिभूति राशि 2.5 मे.टन या इससे अधिक परिवहन क्षमता हेतु राशि रू.1,00,000/- (अक्षरी रू. एक लाख मात्र) एवं 1.5 मे. टन या इससे कम परिवहन क्षमता हेतु राशि रू. 50,000/- (अक्षरी रू. पचास हजार मात्र) नगद संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(14) निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता को कार्य अवधि दो वर्षो के लिए प्रभावशील रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्त्ता का कार्य दो वर्षों की अवधी में संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधी एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

(15) कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधी में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधी में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।

मेरे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्त्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समक्ष ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 15 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमती देता हूं।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

…./9/…..

प्रपत्र क्रमांक–3

साँची दुग्ध परिवहनकर्ता हेतु निविदा भाव/दर प्रपत्र :

परिवहनकर्त्ता कार्य प्रति किलोमीटर दर पर

(1) आवेदक का नाम ....

(2) पिता का नाम ....

(3) शैक्षणिक योग्यता ....

(4) पत्र व्यवहार का पता (प्रमाण सहित) ....

....(पिनकोड नं सहित)

दूरभाष/क्र. .... Mob.No ....

पेन कार्ड नं. ....

(5) आवेदक/फर्म का नाम/ ——————————————————————
(यदि फर्म पार्टनर ....
–शिप है तो, पार्टनरशिप फर्म ....
की पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है) ....
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) ....

(6) वर्तमान व्यवसाय ....

(7) वाहन व्यवस्था (स्वय ंका वाहन होने पर) पंजीयन की छाया प्रति संलग्न करें अथवा नया वाहन क्रय करने की स्थिति में तदाशय का शपथ–पत्र संलग्न करें।

(8) धरोहर राशि हेतु डी.डी./एम.आर क्रमांक ....दिनांक ....
रू. ....संलग्न है।

…../10/…..

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

(चतुर्थ)

(ब) खरगौन डेरी संयंत्र से सम्बद्ध मार्ग :–

क्रं.	विपणन मार्ग का नाम	दूरी (आना–जाना कि..मी..में) (अनुमानित)	वाहन क्षमता / प्रकार	मार्ग पर प्रदाय केटों की संख्या (अनुमानित)	निविदाकार द्वारा भरी जाने वाली दर	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7
1	खरगौन से सनावद, ओंकारेश्वर, नर्मदानगर। (तापरोधी)	344 K.M.	2.5 मे.टन परिवहन क्षमता।	250		इस मार्ग हेतु निविदा प्रति कि. मी. दर मे ही भरी जावे।
2	खरगौन से बमनाला केवल प्रातः वितरण हेतु। (तापरोधी)	70 K.M.	1.0 मे.टन परिवहन क्षमता।	75		इस मार्ग हेतु निविदा प्रति कि. मी. दर मे ही भरी जावे।
3	खरगौन से भीकनगॉव, झीरन्या। केवल प्रातः वितरण हेतु। (तापरोधी)	155 K.M.	1.5 मे.टन परिवहन क्षमता।	200		इस मार्ग हेतु निविदा प्रति ट्रीप दर मे ही भरी जावे।
4-	खरगौन से कसरावद, बालसमुन्द, निमरानी केवल सायं वितरण हेतु। (तापरोधी)	112 K.M.	1.5 मे.टन परिवहन क्षमता।	200		इस मार्ग हेतु निविदा प्रति कि. मी. दर मे ही भरी जावे।
5-	खरगौन से भगवानपुरा, धूलकोट केवल प्रातः वितरण हेतु। (तापरोधी)	90 K.M.	1.5 मे.टन परिवहन क्षमता।	200		इस मार्ग हेतु निविदा प्रति कि. मी. दर मे ही भरी जावे।
6-	खरगौन से बरूड, नांगलवाडी। केवल सायं वितरण हेतु। (तापरोधी)	100 K.M.	1.0 मे.टन परिवहन क्षमता।	100		इस मार्ग हेतु निविदा प्रति कि. मी. दर मे ही भरी जावे।

नोट – कृपया रिर्माक मे दर्शाये गये अनुसार ही दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

…../11/….

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

(चतुर्थ)

(स) झाबुआ डेरी संयंत्र से सम्बद्ध मार्ग :–

क्र.	विपणन मार्ग का नाम	दूरी (आना–जाना कि..मी..में) (अनुमानित)	वाहन क्षमता/प्रकार	मार्ग पर प्रदाय केटों की संख्या (अनुमानित)	आकरिमक वाहन छाया दार क्षमता/केट क्षमता	निविदाकार द्वारा भरी जाने वाली दर।	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	अलीराजपुर से कवाट (शटल मार्ग)	103 K.M.	1.5 मे.टन परिवहन क्षमता।	100			इस मार्ग हेतु निविदा प्रतिट्रीप दर मे ही भरी जावे।
2-	झाबुआ से खरडू, पारा, बोरी (तापरोधी)	68 K.M.	01 मे.टन परिवहन क्षमता।	70			इस मार्ग हेतु निविदा प्रति ट्रीप दर मे ही भरी जावे।
3-	झाबुआ शहर (01) (तापरोधी)	55 K.M.	1.5 मे.टन परिवहन क्षमता।	200			वितरक सह–परिवहनकर्ता ही आवेदन करें एवं दर प्रतिलीटर मे ही प्रस्तुत करे।
4-	झाबुआ शहर (02) (तापरोधी)	40 K.M.	1.5 मे.टन परिवहन क्षमता।	150			वितरक सह–परिवहनकर्ता ही आवेदन करें। एवं दर प्रतिलीटर मे ही प्रस्तुत करे।
5-	झाबुआ से कालीदेवी, राजगढ, रिगंनोद (तापरोधी)	120 K.M.	1.5 मे.टन परिवहन क्षमता।	75			इस मार्ग हेतु निविदा प्रति किलोमीटर दर मे ही भरी जावे।

नोट – कृपया रिर्माक मे दर्शाये गये अनुसार ही दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

…../12/…..

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
(चतुर्थ)

(द) बडवानी डेरी संयंत्र से सम्बद्ध मार्ग :–

क्रं.	विपणन मार्ग का नाम	दूरी (आना–जाना कि..मी..में) (अनुमानित)	वाहन क्षमता / प्रकार	मार्ग पर प्रदाय केटों की संख्या (अनुमानित)	आकस्मिक वाहन छायादार क्षमता / क्रेट क्षमता	निविदाकार द्वारा भरी जाने वाली दर।	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बडवानी से सिंघाना, मनावर, बाकानेर, धरमपुरी। (तापरोधी)	150 K.M.	3.5 मे.टन परिवहन क्षमता।	400			इस मार्ग हेतु निविदा प्रति कि.मी. दर मे ही भरी जावे।
2	बडवानी, खलघाट, धामनोद, महेश्वर, मंडलेश्वर।	200 K.M.	3.5 मे.टन परिवहन क्षमता।	400			इस मार्ग हेतु निविदा प्रति कि.मी. दर मे ही भरी जावे।

नोट – कृपया रिर्माक मे दर्शाये गये अनुसार ही दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

……/13/….

दूध परिवहनकर्ता कार्य हेतु अनुबंध–प्रपत्र

यह अनुबंध आज दिनांक.................... को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह. दुग्ध संघ, मर्या. चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर (जिन्हे आगे इस अनुबंध लेख मे दुग्ध संघ कहा गया है) एवं श्री .... पिता –––––––––––––––––––– निवासी –––––––––––––––––––––––––––––––– (जिन्हे आगे इस अनुबंध लेख मे परिवहन ठेकेदार कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत् निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे :–

ठेकेदार द्वारा इन्दौर सह. दुग्ध संघ, मर्या. इन्दौर डेयरी प्लांट/दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र ––––––– से संचालित मार्ग .... के समस्त वितरण केन्द्रो तक दुग्ध पैकेटों एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट दुग्ध संघ तक परिवहन करने के वास्ते अपने निजी वाहन क्रमांक .... से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह. दुग्ध संघ, मर्या. इन्दौर, द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु निविदा में आवदेन किया है, एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तो पर निविदाकार के आवेदन पर परिवहन दर रू...................... प्रति किलोमीटर/प्रतिलीटर/प्रतिट्रीप आना व जाना मिलाकर स्वीकार किया है।

(1) यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिये दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायलीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।

(2) यह कि ठेकेदार होने पर ठेकेदार निर्धारित मार्गो एवं स्थानों पर अपने निजी वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग, केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा जो ठेकेदार पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए केन्द्रो में केन्द्र बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सह. दुग्ध संघ, मर्या. इन्दौर का होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि वाहन अधिकतम किलोमीटर दर्शाने से दस किलोमीटर ज्यादा चलती है तो उसकी दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।

(3) यह कि निविदा में निर्देशित दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रो पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट/पैकेट व क्रेट आदि वापस लेकर इन्दौर डेरी में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।

…../14/….

(4) अ– ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेरी से प्राप्त की गई है, उतनी ही क्रेट डेरी संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की कीमत की राशि ठेकेदार के बिल में से काटी जावेगी।

ब– विभिन्न विक्रय केन्द्रो पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध मात्रा ठेकेदार को चालान में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटी पाए जाने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी एवं इसी प्रकार किसी कारणवश विक्रय केन्द्रों से वापस रिटर्न होने वाले दूध को एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेरी प्लान्ट में वापस करनी होंगी। रिर्टन दूध करने वाले प्रदायकर्ता (वितरक/विक्रेता) को प्राप्ति रसीद देना होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो दूध की मात्रा के समतुल्य राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(5) यह कि ठेकेदार वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा अधिकृत परिचालक वाहन चालक, संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने की स्थिति में ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर या दूसरा इंतजाम करके समय पर कार्य संपन्न करे अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो वह ठेकेदार से वसूली योग्य होगी। ऐसी घटना होने पर निविदा निरस्त करके ठेकेदार की जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

(6) यह कि वाहन की खराबी अथवा ठेकेदार पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका सम्पूर्ण दायित्व वाहन ठेकेदार का रहेगा।

(7) यह कि वाहन ठेकेदार को आवटित परिवहन वितरण मार्ग पर किन्ही भी कारणवश यदि उनकी क्रेट परिवहन क्षमता से अधिक की मांग प्राप्त होती है तो प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा दी गई सूचना अनुसार अतिरिक्त क्रेट परिवहन क्षमता का वाहन लगाने की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की रहेगी,। जिसका न्यूनतम परिवहन भाडा संघ द्वारा भुगतान किया जावेगा , अतिरिक्त वाहन के साथ भेजी गई क्रेटों की 100% वापसी की जिम्मेदारी वाहन ठैकेदार की रहेगी।

(8) यह कि ठेकेदार हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काटली जायेगी जो ठेकेदार को मान्य करनी होगी।

…../15….

(9) यह कि ठेकेदार अपने वाहन से दूध व दूध के पेकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध–दुग्ध पदार्थ पैकेट/दूध वाहन में पाया जाता है तो उस अतिरिक्त मात्रा का 100 गुणा राशि से दंडित किया जावेगा। अन्य कोई भी वसूली परिवहनकर्ता के देयक से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

(10) यह कि ठेकेदार/वाहन चालक, ठेकेदार के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेट्– केन लायेंगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करेंगे न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढ़ायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम ठेकेदार से वसूल की जावेंगी। साथ ही रिक्त क्रेट वापसी के दौरान किसी भी प्रकार का अन्य सामान वितरण वाहन मे लोड नही करेगें, अन्यथा किन्ही भी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है तो रू. 500/- प्रतिट्रीप का कटोत्रा परिवहन ठेकेदार के देयक से किया जावेगा।

(11) यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से दुगनी कीमत वसूल की जावेंगी।

(12) यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी मौके पर जाने के समय यदि प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दुग्ध संघ प्रयोगशाला में परिपेक्ष में जांच की प्रथम
दृष्टि में अपमिश्रित की पुष्टि हुई तो तुरन्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर को होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त कर ली जावेगी।

(13) यह कि वाहन ठेकेदार द्वारा कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की रिटर्न (प्रयोगशाला) परीक्षण में जांच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

(14) यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी की शिकायत करने पर कर्मचारी का कार्य से ठेकेदार को तुरन्त हटा देना होगा। ठेकेदार कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा।

…../16/….

(15) संघ डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में परिवहनकर्ता को उठाना होगा। डेयरी डाक पर परिवहनकर्ता छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरकों को अच्छे पैकेट देगा। दुग्ध वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध के पैकेट वापस लिये जा सकेंगे।

(16) यह कि इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में ठेकेदार के अटेंडेन्ट दुग्ध के क्रेट उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेग व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेरी से बाहर जाने दिया जावेगा।

(17) यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो ठेकेदार से रूपये 100/- (रूपये एक सौ मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्य पालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थितियों में वाहन यदि निर्धारित समय में 15 मिनिट तक की अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी तत्पश्चात् अन्य वाहन की व्यवस्था में जो वास्तविक देय होगा या ठेके के अनुसार दिया जाने वाला किराया होगा उसका दुगुना (जो भी अधिक देय हो) ठेकेदार से वसूल किया जावेगा। जितने दिन ठेकेदार दुग्ध वितरण के लिए अपना वाहन नहीं भेजेंगे, उतने दिन के लिए उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था के लिए रूपये 200/- (रूपये दो सौ मात्र) पृथक से वसूल किया जावेगा।

(18) यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात् रिटर्न लेकर निर्धारित समय में डेरी में आना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में वाहन यदि 15 मिनिट की अवधि में विलम्ब से आता है तो छूट दी जावेगी। तत्पश्चात रूपये 100/- प्रति घंटा विलम्ब से आने के लिये पेनाल्टी के रूप में आपके बिल से कटौत्री की जा सकेगी।

(19) यदि ठेकेदार का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या प्रबंधक विपणन की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि पन्द्रह (15) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर का होगा।

(20) यह कि ठेकेदार का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था ठेकेदार करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी इस हेतु जानकारी कार्यालय को देनी होगी।

(21) मुख्य कार्य पालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना ठेकेदार दुग्ध या दुग्ध सेचेट/केनो से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों का या अन्य सामान को नहीं ले सकेगा।

…../17/…..

(22) देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, ठेकेदार को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देयक संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक चैक द्वारा किया जा सकेगा।

(23) वाहन चालक एवं अटेन्डेंट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के सचेट मुख्य कार्य पालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अभ्रद व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (प्लान्ट आपरेशन) द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को ठेकेदार तुरन्त बदल देगा।

(24) ठेके की शर्तो एवं अवधि दिनांक .... से ठेके की अवधि .... के लिये प्रभावशाली रहेंगी। शर्तो की अवहेलना करना एवं संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्य पालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर बिना कोई कारण बताए ठेका समाप्त कर सकेगा एवं ठेका समाप्त किये जाने पर ठेकेदार किसी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।

(25) वाहन का आकस्मिक निरीक्षण वितरण के दौरान किसी भी स्थान पर इन्दौर सह.दुग्ध संघ इन्दौर के अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक को करने का अधिकार होगा। उसे निरक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने का समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

(26) ठेकेदार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा। और न उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरन्त निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर को होगा।

(27) इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर को बकाया देय रकम ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से वसूल की जावेगी।

(28) डेरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 100/- ठेकेदार पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।

(29) ठेकेदार द्वारा दिये गये भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव में ठेकेदार की अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा चलाने के लिये असमर्थता की तो मुख्य कार्य पालन अधिकारी को ठेकेदार की निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा।

...../18/....

(30) उपरोक्त किसी भी शर्तो एवं दुग्ध संघ द्वारा दिए गये निर्देशों, शर्तो एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्य पालन अधिकारी इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर को होगा।

(31) ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में अध्यक्ष इन्दौर सहकारी दुग्ध संध मर्या. इन्दौर या उनके द्वारा नियुक्त संचालक/अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा।

(32) उपरोक्त शर्तो के अलावा संघ के हित को देखते हुए कोई भी अतिरिक्त कार्य लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर सुरक्षित रखता है।

(33) वाहन ठेकेदार को क्रेटों का लेखा–जोखा स्वयं रखना होगा कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र ठेकेदार को दिया जावेगा उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम क्रेट संघ में जमा करना होंगे अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार देयक से कम क्रेटो की राशि काट ली जावेगी। कटौत्रा होने के पश्चात् काटी गई राशि वापस नहीं की जावेगी।

(34) ठेकेदार खाली क्रेटो, का लेखा–जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे। निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसके लिए स्वयं ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

(35) यह अनुबंध दो वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

(36) यदि वाहन ठेकेदार शर्तो के परिचालन में असमर्थ है या ठेका या ठेका समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि विशेष देयकों की राशि राजसात कर ली जावेगी।

(37) वाहन ठेकेदार के अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तो के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए इन्दौर दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा, इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की सूरत में ठेकेदार द्वारा इन्दौर सह. दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर

…../19/….

को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान ठेकेदार को इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर की मांग करने पर तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवं हानियों का जो कि ठेकेदार से वसूल की जानी है, के लिये मुख्य कार्य पालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(38) वाहन ठेकेदार इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर का नाम मात्र सदस्य बनेगा एवं इस अनुबंध से संबंधित कोई भी विवाद केवल पंजीयक सहकारी संस्थाए म.प्र. के न्यायालय में ही प्रस्तुत करेंगे।

(39) ठेके के बीच अवधि में यदि डीजल, ऑयल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि/कमी होती है तो अनुपातिक वृद्धि/कमी वाहन दरों में की जा सकेगी। केवल प्रतिट्रीप दर पर चलने वाली वाहनों को छोडकर।

(40) भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी।

(41) दुग्ध संघ उत्पादकों को उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाये रखने वास्ते ठेकेदार इंश्यूलेटड/रेफ्रीजरेटेड वाहन परिवहन वितरण हेतु संघ को उपलब्ध कराएगा, उपलब्ध न कराने की स्थिति में परिवहन ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

(42) यह कि ठेकेदार अपने तापरोधी वाहन के वाहन चालक का ड्राईविंग लायसंस एवं हेल्पर का I.D. प्रुफ ठेका प्राप्त होने के उपरांत संघ कार्यालय मे आवश्यक रूप से जमा करायेगा, साथ ही वाहन मॉडल का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संघ मे जमा कराना आवश्यक होगा।

(43) यदि कार्य सम्पादन निरापित करने में वाहन ठेकेदार संघ के मापदण्डों पर उपयुक्त नही पाया जाता है तो परिवहन ठेका एक माह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कार्य समापन न करने की अक्षमता के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदार होंगे तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति वास्ते पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।

(44) दुग्ध की माँग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की माँग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा जिसके लिए पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा।

…../20/…

(45) आपातकालीन स्थिति यथा नदी–नाले चढ़ने पर मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में दुग्ध वितरण संभव नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के थाने से लिखित सूचना/प्रबंधक शीतकेन्द्र से लिखित सूचना कार्यालय में 48 घण्टे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटोत्रा मासिक देयक से किया जावेगा।

(46) यह कि संपादित अनुबंध दौनो पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से पूर्ण अवधि तक प्रभावशील माना जावेगा।

(47) समस्त न्यायालयीन विवादों के प्रसंग मे न्यायीक क्षेत्र इन्दौर रहेगा

(48) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/परिवहन एजेन्ट के कार्य अवधि के दौरान द्वारा दिये गये वितरण परिवहन सम्बन्धी आदेश/निर्देश/परिपत्र/पत्र आदि भी अनुबंध का अंग माने जावेगें। आदेश/निर्देश/परिपत्र/पत्र अनुसार परिवहन कार्य करना अनिवार्य होगा।

(49) यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उसे मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) अध्यक्ष, इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के समक्ष रखा जाऐगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

यह अनुबंध आज दिनांक   को उभय पक्षों ने आपसी सहमति के आधार पर दुग्ध संघ कार्यालय मे हस्ताक्षर कियें है, अनुबंध लेख दिनांक ------------- से दो वर्षो अथवा जब तक बढायी गई कार्य अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या
इन्दौर (द्वितीय पक्ष)

(———————— S/o ————————)
परिवहन वाहन ठेकेदार
(प्रथम पक्ष)

➢ गवाह ➢

1- हस्ताक्षर
नाम – – – – – – – – –
पिता – – – – – – – – –
पता – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
– – – – – – – – –

2- हस्ताक्षर
नाम – – – – – – – – –
पिता – – – – – – – – –
पता – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
– – – – – – – – –

❖